

नियास : यो-१७, धार इमलो, भोपाल फीन : 0755-2671046, किसा : 2671024 मंत्रालय : क्या क्र. 543 कार्या. : 0755-2677533

## मंत्री, गृह एवं परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

पत्र प्रमांकः 30 विकासित

प्रति.

पुलिस उप महानिरीक्षक, इंदौर रेंज, शहर इदौर मध्यप्रदेश

दिनांक 5.1.2018 को डी.पी.एस. स्कूल बस की घटित दुर्घटना के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत बस दुर्घटना के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य संज्ञान में आये है :-

- दुर्घटनाग्रस्त बस के मृतक ड्राइवर के द्वारा स्कूल प्रबंधन को बस में तकनीकी खराबी की सूचना दी गई थी, किन्तु स्कूल प्रबंधन द्वारा इस संबंध में वांछित मेन्टिनेंस का कार्य न कराते हुए गंभीर लापरवाही बरती गई है।
- दुर्घटना के समय बस की गति सीमा अत्याधिक (80 कि.मी.प्रति घन्टें) थी. जिससे भीषणा दुर्घटना घटित हुई । इससे स्पष्ट है कि बस में स्पीड नियंत्रण हेत् लगाया गया स्पीड गवर्नर प्रभावशील नहीं था ।
- दुर्घटनाग्रस्त बस की फिटनेस जॉच उच्च स्तरीय टेक्निकल एजेंसी के द्वारा कराई जाना सुनिश्चित कर अवगत करावें ।

अतः मान. मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल प्रबंधन एवं संबंधित स्पीड गर्वनर कम्पनी के विरुद्व तत्काल एफ आई आर दर्ज कर संबंधितों की गिरफ्तारी की जाकर,अवगत करावें ।

विशेष सहायक